इकाई–7 राज्य स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन (बिहार)
(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

पाठसंरचना(Lesson Structure)

7.0 उद्देश्य**(Objective)**

7.1 परिचय**(Introduction)**

7.2 समाजकल्याणविभागएवंनिदेशालय**(Social Welfare Department and Directarate)**

7.3 राज्य समाज विभाग का संगठन, बिहार के विशेष संदर्भ में

(Organisation with special reference to Bihar)

7.4 निदेशालय **(Directarate)**

7.5 समाजकल्याणविभागकेकार्य**(Functions of Social Welfare Department)**

7.6 राज्यसमाजकल्याणसलाहकारमंडल**(State Social Welfare Advisary Board)**

7.7 साराशं**(Conclusion)**

7.8 अभ्यासकेप्रश्न**(Questions for Exercise)**

7.9 प्रस्तावितपाठ **(Suggested Readings)**

7.0 उद्देश्य(Objective)

सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा से संबंध सामाजिक प्रशासन और उसकी योजनायें मुख्यत: भारत सरकार द्वारा निर्मित है जो राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अत: इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह जानकारी देना है कि राज्य सरकारें खासकर बिहार सरकार के अंतर्गत समाज कल्याण से संबंधित कार्यों का सम्पादन किस प्रकार किया जाता है, तथा इस दिशा में राज्य सरकार ने क्या कमद उठाये हैं।

7.1 परिचय(Introduction)

आर्थिक सामाजिक विकास से संबंध अधिकांश मामले (विषय) समवर्ती सूची में समाहित हैं, जिन पर केन्द्र सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम अभिभावी होती हैं। शिक्षा, परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन तथा सिविल एवं दण्ड प्रक्रिया से संबंध विषय समवर्ती सूची में है। सामाजिक विकास से सम्ब□ अन्य कार्य जैसे-लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन, औषधालय, न्याय प्रशासन, जेल, कृषि, वन, सिंचाई तथा मादक शराब का उत्पादन यद्यपि राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। किन्तु इन राज्य सूची के विषयों पर भी संघीय सरकार अनेक राष्ट्रीय विकास और कल्याण कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस प्रकार सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा से संबंध सामाजिक प्रशासन और उसकी योजनायें मुख्यत: भारत सरकार द्वारा निर्मित है जो राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। बिहार में सरकार की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों, महिलाओं, गरीबों, भिक्षुओं आदि के कल्याण के लिये विभिन्न निदेशालयों आयोगों निगम आदि के माध्यम से अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिससे अभिवंचितों में नयी आशा एवं जागृति का संचार हुआ है। इन कार्यों को सही दिशा देने के लिये समाज कल्याण विभाग में अनेक निदेशालय एवं अन्य शाखायें हैं जिनके द्वारा इन कार्यों को संपन्न किया जाता है।

7.2 समाजकल्याणविभागएवंनिदेशालय(Social Welfare Department and Directorate)

भारत में राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन के संगठन की बिखरी प्रकृति है। समाज कल्याण के कार्य तथा सामाजिक सेवायें किसी एक संगठन द्वारा संचालित नहीं की जाती वरन् वे विभिन्न विभागों तथा संगठनों द्वारा की जाती है। यह स्थिति एक सीमा तक तो अपरिहार्य है क्योंकि समाज कल्याण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। परन्तु फिर भी यह वांछनीय है कि कम से कम प्रमुख कार्य एक ही संगठन द्वारा संचालित किये जायें।

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, नि:शक्तजनों, वृ□जनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संब□न एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों के समेकित उन्नति एवं विकास के लिये संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियामवली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना है। वर्ष 2007 में बिहार में कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात् यह विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

7.3 राज्यसमाजकल्याणविभागकासंगठनबिहारकेविशेषसंदर्भमें(Organisaton of Social Welfare Department with Specail Reference to Bihar)

राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग का कार्य क्षेत्र केन्द्र की अपेक्षा भिन्न है। अत: संगठन संबंधी भी कुछ अंतर है। यहाँ हम बिहार सरकार के समाज कल्याण-विभाग के संगठन की रूप रेखा प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमें विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण विभागों के प्रशासनिक संगठन की रूपरेखा का अनुमान हो सके।

समाज कल्याण विभाग के शीर्ष पर राजनीतिक निर्देशन के लिये एक समाज कल्याण मंत्री होता है। समाज कल्याा विभाग तथा राज्य मंत्रीपरिषद के बीच मध्यस्थ की भूमिका मंत्री ही निभारता है। विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निर्धारण तथा राज्य के सामाजिक प्रशासन पर नियंत्रण, निर्देशन का कार्य मंत्री ही करता

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

है। शासन सचिवालय में विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख सचिव होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। सचिव समाज कल्याण विभाग की समस्त नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण तथा बजट निर्धारण में मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता एवं प्रशासनिक सहायक की भूमिका निभाता है। विभाग की प्रशासनिक संरचना पर नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व तथा कार्मिक प्रबंध, उत्तरदायित्व सचिव द्वारा ही वहन किये जाते हैं। समाज कल्याण से संबंधित केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों की सफल क्रियान्वित सुनिश्चित करना भी इसी अधिकारी का कार्य तथा उत्तरदायित्व भी है।

विभाग के अधीन तीन (3) निदेशालय कार्यरत हैं, जिनके कार्य एवं दायित्व तथा संगठनात्मक ढांचों का वर्णन आगे किया जायेगा।

प्रधान सचिव अथवा सचिव के अतिरिक्त दो विशेष सचिव या दो अपर सचिव होते हैं। उसके बाद एक संयुक्त सचिव अथवा संयुक्त निदेशक होते हैं। उसके नीचे प्रशाखा पदाधिकारी तथा उसके नीचे सचिवालय सहायक तथा उसके नीचे अवर सचिव होते हैं।

राज्य मुख्यालय स्तर पर विभाग की संगठनात्मक संरचना में सचिव को अन्तर्गत राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय भी आता है।

राजय मुख्यालय स्तर पर विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैं—

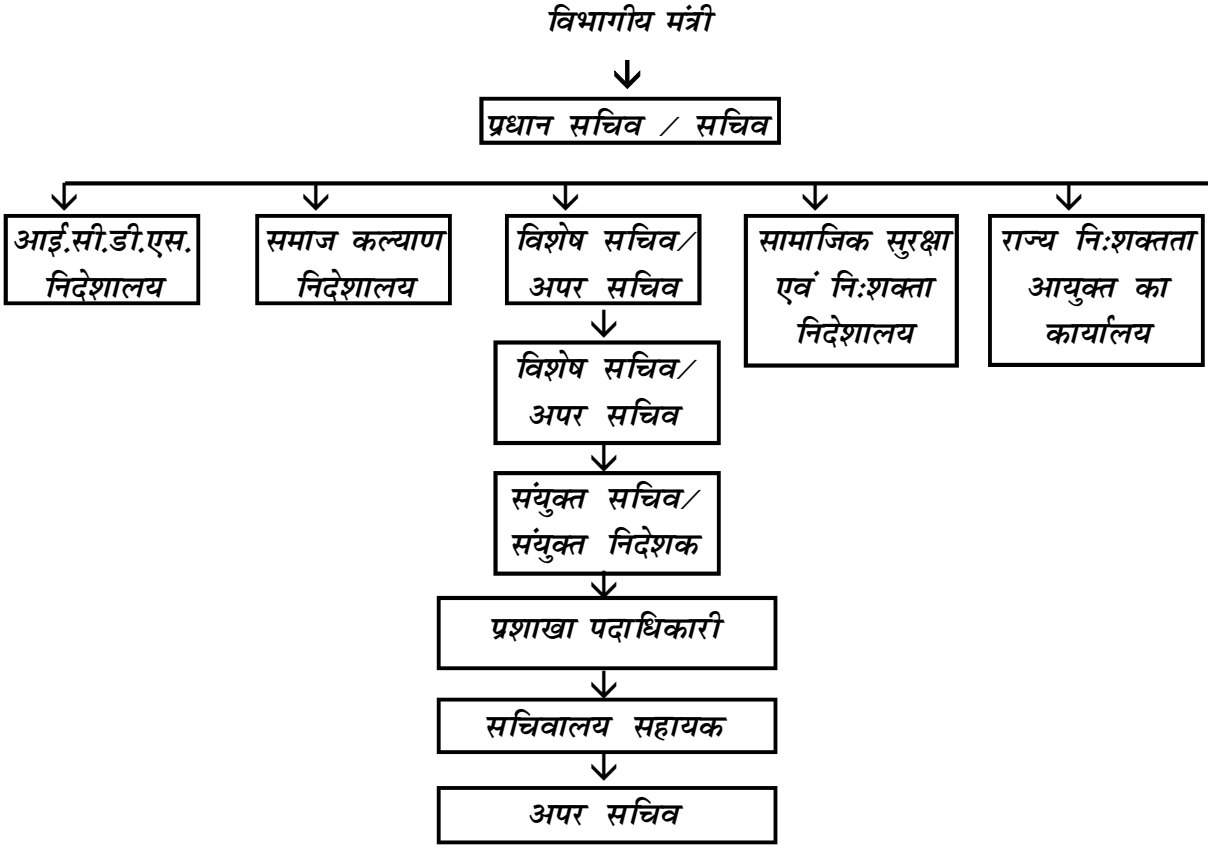

(उपर दिया गया संरचनात्मक ढांचा समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 में दशार्या गया है।)

सबसे नीचे के स्तर में IIIrd ग्रेड और IVth ग्रेड कर्मचारी गण कार्य करते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती। आवश्यकता के अनुसार इसमें कमीबेशी होती रहती है।

निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पदों पर राज्य के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी पदस्थापित होते हैं। कुछ संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण समाज कल्याण विभाग में ही पदोन्नति प्राप्त कर पदस्थापित होते हैं। निदेशालयों की प्रशासनिक संरचना को चार्ट द्वारा आगे दिखाया गया है।

नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार सरंक्षक तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की अनुपालन में राज्य में नि:शक्जन आयुक्त का पद भी सृजित किया गया है। यह पद राज्य मंत्री स्तर का माना जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

7.4 *निदेशालय*(Directorate)

इस विभाग के अधीन तीन निदेशालय कार्यरत है, जिनके कार्य एवं दायित्व तथा संगठनात्मक ढांचे निम्न प्रकार हैं–

(1)समेकितबालविकाससेवायें(ICDS) *निदेशालय*

इस निदेशालय के द्वारा मुख्यत: (ICDS) बाल विकास सेवायें संचालित होती है जिसके अंतर्गत समेकित रूप से 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य सेवायें सहित छ: प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। इसका संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है–

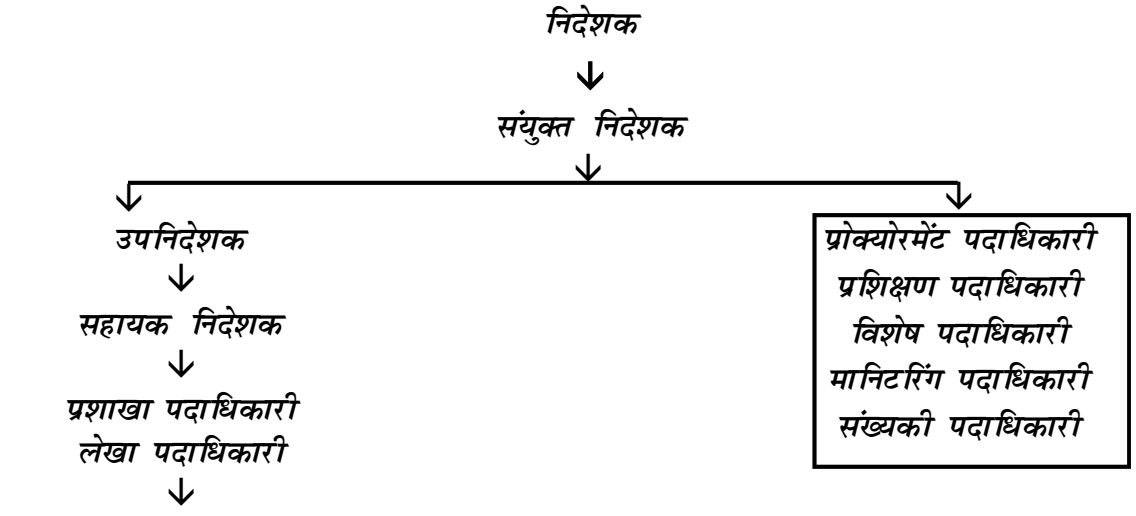

इस निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

(1) समाज कल्याण निदेशालय :

यह निदेशालय किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(**Social Welfare Administration at State Level (Bihar)**

(SARA) महिला सशक्तीकरण नीति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मानव व्यापार निषेध कार्यक्रम, कार्यस्थ्लों पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, अर्न्तजातीय विवाह, और परवरिश जैसे कार्यक्रमों से संबंधित है। इसकी संगठनात्मक संरचना निदेशालय मुख्यालय इस प्रकार है–

निदेशक
↓
संयुक्त निदेशक
↓
सहायक निदेशक
↓
प्रशाखा पदाधिकारी
↓
सहायक

निदेशालय के अधीन एक राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसकी संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है–

राजय बाल संरक्षण समिति	***राज्यबाल संरक्षण इकाई***
↓	↓
अध्यक्ष (विभागीय सचिव/प्रधान सचिव)	उपनिदेशक
↓	↓
उपाध्यक्ष (निदेशक समाज कल्याण)	सहायक निदेशक
↓	↓
परियोजना निदेशक	प्रशाखा पदाधिकारी
↓	↓
कार्यक्रम प्रबंधक (SCPS) कार्यक्रम प्रबंधक (SARA)	सहायक

राज्य बाल संरक्षण इकाई के अधीन प्रत्येक जिला में एक सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा बाल संरक्षण अधिकार एवं विधि विवादित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु समन्वयक का कार्य किया जाता है।

निदेशालय के अंतर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, गरीबी और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण के उद्देश्य को पूरा करने हेतु दिनांक 28.11.1991 को ***महिला विकासनिगम*** की स्थापना की गई थी।

महिला विकास का मुख्य कार्य महिला सशक्तीकरण नीति का कार्यान्वयन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण तथा महिलाओं का प्रशिक्षण अल्पावास गृह, हेल्पलाइन सहित उनके सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का कार्यान्वयन करना है।

महिला विकास निगम की संगठात्मक संरचना निम्न प्रकार हैं–

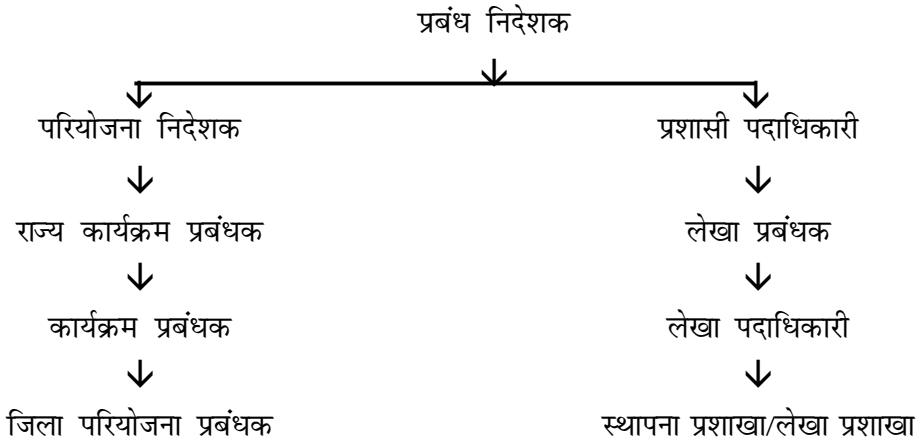

(3) समाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय :

इस निदेशालय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, मृत्युपरान्त अनुग्रह अनुदान योजनायें, नि:शक्तता कल्याण की योजनायें एवं कार्यक्रम, भिक्षुकों एवं निराश्रितों का पुनर्वास, माता पिता एवं वशिष्ट नागरिकों की अधिकारिता एवं कल्याण, नशा विमुक्ति एवं पुनर्वास, अपराधशील जनजाति/ समुदायों का पुनर्वास आदि संबंधित कार्य संचालित होते हैं। इसकी संगठनात्मक रचना इस प्रकार है—

निदेशक
↓
संयुक्त निदेशक
↓
सहायक निदेशक
↓
आय व्ययक पदाधिकारी
↓
प्रशाखा पदाधिकारी

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

(4) राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय :

इस विभाग में राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय है। इनके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं—

(1) विकलांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिये उनसे प्राप्त आवेदनों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध करना।

(2) गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु नि:शक्तजन अधिनियम के अंतर्गत निबंधन करना।

(3) नि:शक्तता अधिनियम 1995 के प्रावधानों का विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों द्वारा किया जा रह

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अ□वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार / राज्य सरकार को समर्पित करना।

राज्य नि:शक्तता आयुक्त के अलावा अपर राज्य नि:शक्तता आयुक्त तथा उसके नीचे वित्तीय सलाहकार फिर प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक होते हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग में स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर 'सक्षम' (SSUPSW) गठित है। यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका लक्ष्य महिलाओं, बच्चों वृ□जनों, नि:शक्तजनों, अतिनिर्धन वर्गों व विक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों के निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्ययोजनायें:-विभाग के अधीन संचालित मुख्य योजनायें इस प्रकार है–

(i) ***महिलाप्रक्षेत्र***– इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना आते हैं।

(ii) ***बालविकासप्रक्षेत्र***– इसके अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिये पोषक योजना, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना तथा परवरिश आते हैं।

(iii) ***किशोरन्यायप्रक्षेत्र***– इसके अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना, बालगृह सुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान तथा विशेष गृह एवं पर्यवेक्षण गृहों का संचालन आता है।

(iv) ***सामाजिकसुरक्षाप्रक्षेत्र***– इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनायें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृ□ावस्था पेंशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गाँधी नि:शक्तता पेंशन, राज्य पेंशन योजनायें, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिहार नि:शक्तता पेंशन आते हैं।

(v) ***नि:शक्तताप्रक्षेत्र***– विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित पूर्व की सभी योजनाओं को समेकित कर एक योजना मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण योजना (सम्बल) बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत निम्न योजनायें संचालित होती हैं–

कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण, विकालांग छात्रों के लिये छात्रवृत्ति, नि:शक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण, विशेष विद्यालयों का उन्नयन, विकलांग सर्वेक्षण, मानसिक रूप से विकलांगों के लिये नये विशेष विद्यालयों की स्थापना, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान आयोग।

(vi) ***मृत्योपरांतदेयअनुदानयोजनायें***-इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, और कबीर अत्येष्टि अनुदान योजना आता है।

(vii) ***अन्ययोजनायें***– इसमें बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सृदृढ़करण योजना (BISPS), बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, और वृ□ाश्रमों का निर्माण आता है।

बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनायें :-

समेकित बाल विकास सेवा योजनायें वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिये एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय

आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं की बहुयायी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कारागार तथा कम लागत पर सेवायें दी जाती है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समेकित रूप से निम्नलिखित छः (6) सेवायें 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है–

(1) पूरक पोषहार (2) स्कूल पूर्व शिक्षा

(3) टीकाकरण (4) स्वास्थ्य जांच

(5) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (6) संदर्भ सेवायें।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय द्वारा उपरोक्त सेवाओं के आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन राज्य द्वारा किया जा रहा हैं–

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजना–

(2) पूरक पोषहार कार्यक्रम के अंतर्गत–

राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 91677 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य अथवा कुपोषित बच्चों, सभी अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान है।

(3) ***आंगनबाड़ीबच्चोंकेलियेपोषकयोजना :-*** इसमें 250 रु० प्रति बच्चा (3-6 वर्ष वाले) वार्षिक लागत की दर से पोशाक दी जाती है।

(4) ***राजीवगाँधीकिशोरीबालिकासशक्तीकरणयोजना(सबला)*** :-सबला योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ किया गया है। इसमें किशोरी बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 16 से 18 वर्ष की आयु समूह की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर शारीरिक एवं आर्थिक रूप से समृ□ किया जाना है।

(5) ***इंदिरागाँधीमातृत्वसहयोगयोजना:***-इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को भारत सरकार द्वारा 6000/- की नगद राशि दो किश्तों में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनायें राज्य स्तर पर सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओंक को कार्य रूप में परिणित कर रही हैं।

7.5 *समाजकल्याणविभागकेकार्य*(Function of Social Welfare Department)

बिहार कार्यपालिका (संशोधित) नियमावली-2007 के अनुसार समाज कल्याण विभाग को निम्न कार्य आवंटित हैं–

(i) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथाा सशक्तीकरण संबंधी सभी कार्य

(ii) महिलाओं तथा बच्चों के लिये विशेष पोषाहार योजना

(iii) दहेज प्रथा का उन्मूलन

(iv) महिला तथा बालकों के कल्याणार्थ विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

(v) सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन, जैसे बाल सुधार गृह, औवजरवेशन होम, आफटर केयर होम, शेल्टर होम, विशेष गृह, शिशु गृह इत्यादि ।

(vi) भिखमंगों का पुनर्वास

(vii) यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास

(viii) नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(ix) वृ□ावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण का कल्याण

(x) वरीय नागरिकों से संबंधित सभी कार्य एवं योजनायें ।

(xi) नि:शक्तता अधिनियम अन्तर्गत नि:शक्तों के कल्यणार्थ चलाई जा रही सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(xii) जाति प्रथा का उन्मूलन ।

(xiii) नशा मुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनवार्सस ।

(xiv) अपराधिक जनजातियों तथा समाज बहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वासन ।

(xv) भूतपूर्व अपराधिक जनजातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजनायें ।

(xvi) समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना । बोर्ड के माध्यम से महिलाओं के अल्पावास गृह, बच्चों के राजीव गाँधी शिशु गृह, परिवार परामर्श केन्द्र, जागरूकता अभिनव, कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं ।

इन कार्यों के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर पंजीकृत है । यह बिहार सरकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है । सोसाइटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृ□जनों, विकलांगों, अतिनिर्धन वर्गों तथा भिक्षुओं के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु नीतियों के निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकारण करना है ।

सोसाइटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विकास आयुक्त बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा तथा सामान्य निकाय ***सक्षम*** की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है । प्रधान सचिव तथा सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति, ***सक्षम*** में विभिन्न विभागों तथा सरकारी संगठनों के सदस्य हैं, जो कि सक्षम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं । ***सक्षम***द्वारा वृ□, विधवा, विकालांग, कुष्ट रोगी आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय के द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन में निदेशालय का सहयोग किया जा रहा है । अत: इसके द्वारा समाज कलयाण के जो कार्य किये जा रहे हैं उनमें प्रमुख हैं–

(1) ***मुख्यमंत्रीभिक्षावृत्तिनिवारणयोजना :-*** यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य अथवा कार्य है राज्य को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त करना है ।

(2) नि:शक्तजनों वृ□जनों एवं विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण । इस योजना के अंतर्गत सभी 101 अनुमंडलों में सामाजिक देखभाल केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा, जहाँ निशक्जन, वृ□ एवं विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं देख-भाल संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त ***स्वास्थ्य*(SWASTH)** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता युक्त अनिवार्य स्वास्थ्य, पोषण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं का उपयोग बढ़ाना, विशेष रूप से निर्धन एवं वंचित समूहों के द्वारा किया जाना है। स्वास्थ्य (SWASTH)कार्यक्रम की अवधि 6 वर्ष (वर्ष 2010-2016) की है। इसके लिये राशि तीनों विभाग-स्वास्थ्य, समाज कल्याण और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में क्रमशः 40 : 40 : 20 के अनुपात में वितरित की गई है। यह राशि 145 मिलियन पाउन्ड (लगभग) 1000 करोड़ रु०) (DFID) अनुदान के रूप में दिया गया है।

और अंत में ***मिशनमानवविकास*** की चर्चा किये बिना बिहार सरकार के कार्यों को पूरा नहीं किया जायेगा। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर गाँधी जयन्ती 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया जा रहा हैं–

(i) जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) स्तनपान।

(ii) जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध (पानी भी नहीं)।

(iii) सातवें महीने स उपरी आहार की शुरुआत, और उसके साथ स्तनपान भी।

(iv) बाल्यावस्था के रोगों से बचाव तथा रोकथाम।

(v) स्वच्छ पानी का सेवन।

(vi) हाथों की सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान, तथा शौच के बाद, खाना बनाने के पहले और खाना खाने व बच्चों को खाना खिलाने के पहले साबुन से हाथ धोना।

(vii) 6 माह से 36 माह के बच्चों की वृि□ निगरानी।

(viii) 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिये पूरक आहार के लिये व्यंजन, प्रत्येक माह के 19 तारीख को पोषाहार बनाने एवं खिलाने की विधि का प्रदर्शन।

(ix) आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका के पास ओ.आर.एस. एवं अन्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता।

(x) पोषाहार में अंडा/सोयाबीन उपलब्ध कराना।

(xi) आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन एवं केन्द्र संचालन में सहयोग।

अभियान की सफलता के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभागों का सतत प्रयास जारी है।

7.6 *राज्यसमाजकल्याणसलाहकारमंडल*(State Social Welfare Advisory Board)

सन् 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की नई दिल्ली में स्थापना हुई। शीघ्र ही यह अनुभव किय गया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्य तथा कार्यक्रमों को सुचारू गति प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर भी राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल होने आवश्यक है।

सबसे पहले 19 नवंबर 1954 को 'राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड' की जयपुर में स्थापना की। परन्तु अब करीब-करीब सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

कार्यरत हैं। राज्य समाज सलाहकार मंडल एक तरह से केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्यरत है।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों की आवश्यकता के मुख्य कारण अथवा मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) राज्य स्तर पर केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के सहायक संगठनात्मक ढांचे की स्थापना से कार्यों का विकेन्द्रीकरण हो सके।

(ii) अनुदान मांगने वाले स्वैच्छिक अभिकरणों के कार्यों का मूल्यांकन हो सके।

(iii) क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक अभिकरणों को नियंत्रित तथा समन्वित किया जा सके।

(iv) पहाड़ी, पिछड़े तथा कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों तथा नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु सेवायें दी जा सकें।

(v) सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ परामर्श किया जा सकें, और

(vi) राज्य मंडलों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल तथा स्वैच्छिक अभिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके।

संगठन(Organisation)

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की अध्यक्ष ने सन् 1954 में सुझाव दिया था कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों की स्थापना करते समय उनके सभापति का चयन अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत सदस्यों में से किया जाये तथा महिला उम्मीदवार को वरीयता दी जाये। बोर्ड का सभापति परम्परा के अनुसार गैर सरकारी व्यक्ति होता है। राज्य सरकार के परामश्र के बाद सभापति की नियुक्ति केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल ही करे। मंडल के अन्य सदस्य सरकारी तथा गैर सरकारी हों, जिनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो। मंडल का कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित हुआ। किन्तु व्यवहारिक स्थिति यह है कि राज्य समाज कल्याण मंडलों के सदस्यों की संख्या तथा उनके कार्यकाल की अवधि निरंतर बदलती रहती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य सरकार का पैनल केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल अध्यक्ष पद के लिये कुछ सुप्रसि□ महिला समाज सेवियों के नाम की सूची भेजती है, जहाँ से एक नाम की स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर राज्य समाज कल्याण सलाकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। राज्य स्तरीय मंडल में 15 सदस्य राज्य सरकार तथा 15 केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल मनोनीत करता है। बोर्ड के सभापति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है तथा वह लगातार दो बा से अधिक इस पद पर कार्य नहं कर सकता।

बोर्ड के पदाधिकारी हैं–सभापति, उपसभापति, तथा कोषाध्यक्ष। सभापति के अलावा दोनों पदाधिकारी बोर्ड के सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस प्रकार मंडल के सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार तथा केंद्रीय समाज कलयाण मंडल के संयुक्त परामर्श पर ही होती है।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल की कार्य प्रणाली केन्द्र के समाज कल्याण मंडल के ही अनुरूप है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल के कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिये कुछ स्थायी तथा कुछ अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। मंडल के सभी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

कोषाध्यक्ष तथा सचिव मिलकर आम सभा का निर्माण करते हैं। उन्हीं सदस्यों में से समितियों का निर्माण किया जाता हे। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत यह मंडल अपने मुख्यालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुरूप स्वयं की कार्य प्रणाली निश्चित करता है। मंडल को प्रशासनिक खर्चों के लिये धन राशि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल से आधी-आधी प्राप्त होती है। मंडल के प्रशासनिक कार्यों का संचालन मंडल के सचिवालय द्वारा किया जाता है जो एक सचिव के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

कार्य(Function)

राज्य सरकार कल्याण सलाहकार मंडल निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है–

(i) यह क्षेत्र तथा केन्द्र दोनों के अन्तर्गत सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करता है।

(ii) विभिन्न कार्यक्रमों के अधनी स्वैच्छिक कल्याण अभिकरणों को अनुदान देने के लिये आवेदन पत्रों को आमंत्रिक करना, प्राप्त करना, परीक्षण करना तथा उन्हें केन्द्रीय समाज कल्यण बोडे के पास अनुसंसित करना।

(iii) कल्याण क्षेत्र में कार्यरत अभिकरणों तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा उनकी रिपोर्ट केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल को भेजना।

(iv) राज्य में आवश्यक कार्यक्रमों के बारे में केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल को परामर्श तथा सहायता प्रदान करना।

(v) कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों में दुहराव रोकने के लिये राज्य सरकार को विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना।

(vi) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों एवं कार्यों की सम्पूर्ति के लिये अन्य क्रियाकलापों को संचालित करना।

(vii) स्वैच्छिक समाज कल्याण अभिकरणों को बढ़ावा देना।

(viii) सहायता प्राप्त कर अभिकरणों को क्षेत्रीय परामर्श प्रदान करने में केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की सहायता करना।

(ix) ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को संचालित करना।

(x) राज्य तथा स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक कल्याण अभिकरणों के मध्य समन्वय प्रक्रिया को सुदृढ़ करना और,

(xi) कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल तथा राज्य सरकार की सहायता करना।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल राज्यों में स्थित अपने राज्य कल्याण सलाहकार मंडलों की सहायता से और क्रियाशील स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित समाज कल्याण कार्यक्रम संचालित करता हैं–

(i) कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिये पोषाहार। यह योजना 1974-75 में शुरु की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 0-5 वर्ष आयु के बच्चे आते हैं। योजना में बच्चों को सोने की सुविधा, स्वास्थ्य रक्षा, पूरक पोषाहार एवं रोग निरोधक टीकों की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

(ii) प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता करना है।

(iii) महिलाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिससे महिलायें उपयुक्त रोजगार पा सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें।

(iv) जरूरतमंद महिलाओं और नि:शक्तजनों के लिये सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से निराश्रित, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, परित्यताओं एवं शारीरिक रूप से बाधितों को पूर्णकालिक रोजगार या अंशकालिक रोजगार दिलाने के अवसर प्रदान करता है, ताकि वे अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें।

(v) ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिये जागरूकता परियोजना—यह गरीब महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ वे इकट्ठा होकर आपसी अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान कर सकती है। इस प्रकार वे अपनी समस्याओं को हल करने तथा अपनी जरूरतों को पूरा करने के उपाय खोज सकती हैं।

(vi) पालना घर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। इसका प्रारंभ 1986-87 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पालना घरों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और बच्चों को रखने के संबंध में उन्हें जानकारी देना है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल ऐसे संगठनों का पता लगाते हैं जिनके पा पालनाघर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये समस्त सुविधायें और व्यवस्था हो।

(vii) कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल। इसके लिये केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल सहायता देता है।

(viii) ***प्रकाशन:***- केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल दो पत्रिकाओं—समाज कल्याण (हिन्दी) और Social Welfare (अंग्रेजी) का प्रकाशन करता है। इनके प्रकाशन का उद्देश्य बोर्ड के कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रचार और सामाजिक मुद्दों पर जन चेतना जागृत करता है।

इस प्रकार राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रम अधिकतर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सम्पादित करवाते हैं। मंडल की अधिकांश गतिविधियाँ महिला एवं बाल विकास को समर्पित हैं।

7.7 *सारांश*(Conclusion)

इस प्रकार बिहार में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को समाज कल्याण विभाग द्वारा सही दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। कल्याण विभाग से अलग होने के बाद समाज कल्याण विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अग्रसर है।

विभाग अपने तीन निदेशालयों—बाल विकास सेवायें, निदेशालय, समाल कल्याण निदेशालय तथा सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय द्वारा अपने कार्यों का संचालन करता है।

समेकित बाल विकास सेवायें निदेशालय छ: प्रकार की सेवायें प्रदान करता है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। समाज कल्याण निदेशालय मुख्य रूप से बाल संरक्षण योजना तथा महिला सशक्तीकरण जिसमें कन्या विवाह, कन्या सुरक्षा योजना इत्यादि आता है, उससे संबंधित है। इसी निदेशालय के अंतर्गत महिला विकास निगम

की स्थापना 28.11.1991 में की गई थी। सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों को संचालित किया जाता है, जैसे–पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या, नशा विमुक्ति इत्यादि।

इसके अतिरिक्त राज्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय भी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है जो विकलांगों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि की समस्याओं से संबंधित कार्यों को संचालित करता है।

सामाजिक प्रशासन विभाग के अधीन संचालित मुख्य योजनाओं में महिला प्रक्षेत्र, बाल विकास प्रक्षेत्र, किशोर न्याय प्रक्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र, नि:शक्तता प्रक्षेत्र तथा अन्य योजनायें चलाई जा रही हैं।

महिला प्रक्षेत्र महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिये तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप राज्य में बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, अंतरजातीय विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य महिला प्रक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

इसी के अंतर्गत बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 4.6.1999 में किया गया। महिलाओं से संबंधित सभी कल्याण के कार्यक्रम बिहार राज्य महिला आयोग के द्वारा देखा जाता है और संचालित किया जाता है। यह महिलाओं से संबंधित सभी महिलाओं के लिये सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण तथा जाँच भी करता है। किशोर न्याय प्रक्षेत्र योजना के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को सहायता प्रदान की जाती हैं।

बाल अधिकार, विशेषतया परिवार से वंचित, निराश्रित, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2005 के अधिनियम द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना का भी प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। योजना लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच एक मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 23.4.11 को किया गया। समेकित बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भी राज्य द्वारा अनेक राज्य योजनाओं को शुरुआत की गई हैं जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके लिये अनेक कार्यशालाओं का भी प्रबंध समय–समय पर किया जाता रहा है।

7.8 *अभ्यासकेप्रश्न*(Questions for Exercise)

1. ***बिहार राज्य में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रशासन में क्या–क्या कदम उठाये हैं।***
   What steps the state Govt. has taken for the social welfare Administration.
2. ***समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशकों को गठन एवं कार्यों का वर्ण करें।***
   Write about the ogranisation and functions of the Social welfare Directorate.
3. ***राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें।***
   Write about the organisation and functions of the state Social Welfare Advisory Board.

राज्यस्तरपरसमाजकल्याणप्रशासन(बिहार)(Social Welfare Administration at State Level (Bihar)

7.9 प्रस्तावितपाठ(Suggeted Readings)

1. सामाजिक प्रशासन, — डा० सुरेन्द्र कटारिया।
   कल्याण प्रशासन — आर०बी०एस०ए० पब्लिशर्स, जयपुर
2. सामाजिक कल्याण विभाग बिहार सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन।
3. राज्य प्रशासन — डा० रविन्द्र शर्मा कॉलेज बुक हाउस, जयपुर।

●